आईआईटी उठा सकती है 50 लाख की बैंक गारंटी

आकाश टेबलेट का मामला

जोधपुर

justice.jodhpur@patrika.com

आईआईटी-राजस्थान आकाश टेबलेट के लिए यूके की डाटा विंड कम्पनी की ओर से आईसीआईसीआई बैंक में जमा कराई गई 50 लाख रुपए की बैंक गारंटी का भुगतान प्राप्त कर सकती है। डाटा विंड कम्पनी की ओर से आर्बिट्रेशन एण्ड कन्सिलिएशन एक्ट-1996 की धारा (9) के तहत दाखिल परिवाद की सुनवाई के दौरान मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर महानगर बनवारीलाल शर्मा ने कहा कि अदालत ने बैंक गारंटी के भुगतान को लेकर कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया है। डाटा विंड लिमिटेड की ओर से अधिवक्ता चेतन्य गहलोत ने कहा कि जब तक मामला अदालत में विचाराधीन है, तब तक आईआईटी-राजस्थान को उनकी ओर से आईसीआईसीआई बैंक की

अमृतसर शाखा में जमा बैंक गारंटी की रकम का भुगतान नहीं किया जा सकता। आईआईटी-राजस्थान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता लेखराज मेहता, रमित मेहता, विकास बालिया व संजीत पुरोहित ने कहा कि आईआईटी-राजस्थान व डाटा विंड लिमिटेड के बीच गत वर्ष 1 लाख टेबलेट्स 22 करोड़ में सप्लाई करने का करार किया गया था। जिनमें से कम्पनी ने पहली खेप में 6 हजार टेबलेट भेजे। सभी टेबलेट 'डिफेक्टिव' होने पर यह करार रद्द हो गया। इसलिए आईआईटी राजस्थान अब डाटा विंड कम्पनी की ओर से जमा कराई गई बैंक गारंटी की राशि का भुगतान लेने की हकदार है। अदालत ने 9 अप्रेल को इस मामले में नोटिस जारी किए थे। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि मामला अदालत में विचाराधीन होने के कारण इस सम्बन्ध में भविष्य में उठाए जाने वाले सभी कदम न्यायालय के आदेश के अधीन होंगे। आईसीआईसीआई बैंक इसे स्थगन आदेश मान रहा है। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि अदालत ने कोई स्थगन आदेश नहीं दिया है। सुनवाई के दौरान आईसीआईसीआई बैंक की ओर से अधिवक्ता जी.एस. राठौड़ अदालत में उपस्थित हुए। *(विधि संवाददाता)*

कुल पृष्ठ 24 • मूल्य ₹ 2.00

dainikbhaskar.com

आईआईटी जोधपुर की गारंटी रकम खुली

भास्कर न्यूज | जोधपुर

आईआईटी जोधपुर पीसी टैबलेट 'आकाश' मामले में ब्रिटेन की कंपनी डाटा विंड लिमिटेड की ओर से आईसीआईसीआई बैंक में जमा 50 लाख रुपए की बैंक गारंटी का भुगतान प्राप्त कर सकेगी। यह खुलासा मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायधीश जोधपुर महानगर की अदालत में हुआ, जहां मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि बैंक गारंटी के भुगतान पर किसी तरह की रोक नहीं लगी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनवारीलाल शर्मा की अदालत में आकाश टैबलेट सप्लाई करने वाली यूके की कंपनी डाटा विंड लिमिटेड की ओर से अधिवक्ता चैतन्य गहलोत ने

कहा कि जब तक मामला अदालत में विचाराधीन है, तब तक आईआईटी जोधपुर को उनकी ओर से बैंक की अमृतसर शाखा में जमा बैंक गारंटी की रकम का भुगतान नहीं किया जा सकता। इस बाबत अदालत ने 9 अप्रैल को नोटिस भी जारी किए हैं। आईआईटी की ओर से अधिवक्ता लेखराज मेहता, रमित मेहता व विकास बालिया ने कहा कि आईआईटी जोधपुर व डाटा विंड लिमिटेड के बीच में गत वर्ष 1 लाख टैबलेट्स 22 करोड़ में सप्लाई करने का एग्रीमेंट किया गया था। इनमें से कंपनी ने पहली खेप में जो 6 हजार टैबलेट भेजे वे सभी सब स्टैंडर्ड थे, इसलिए एग्रीमेंट रद्द कर दिया गया। अब कानूनी कार्यवाही की जाएगी, लेकिन आईआईटी एग्रीमेंट के पेटे कंपनी की ओर से जमा कराई गई बैंक गारंटी का भुगतान लेने की हकदार है। अदालत में मौजूद आईसीआईसीआई बैंक के अधिवक्ता जीएस राठौड़ ने कहा कि अदालत की ओर से 9 अप्रैल को सिर्फ नोटिस जारी किए गए थे, उसमें स्टे नहीं था, आईआईटी जब चाहे बैंक में आकर भुगतान ले सकती है।